भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1362

गुरूवार, 11 दिसंबर, 2025 / 20 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रवासी श्रमिकों का कल्याण

1362. श्री संदोष कुमार पीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चिह्नित विशेष योजनाएं कौन सी हैं; और

(ख) 31 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे श्रमिकों की राज्य-वार और स्त्री-पुरुषवार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी यह उपलब्ध कराया गया है। यह एक असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। दिनांक 07.12.2025 तक की स्थिति अनुसार, प्रवासी कामगारों सहित 31.39 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य-वार और स्त्री-पुरुषवार संख्या अनुबंध I और II में संलग्न है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता का भुगतान, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि प्रदान किया जाना आवश्यक है।

इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में शामिल कर दिया गया है। ओएसएच संहिता में प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए समुचित कार्यदशाएं, न्यूनतम वेतन, शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री हेल्पलाइन, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

जारी-/.....

विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत संरक्षण और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, इस संहिता द्वारा कामगारों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखा जाता है। यह संहिता ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होगी जिसमें दस या अधिक अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों में किसी भी दिन नियोजित थे। नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार को पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा, यात्रा की आवधिकता और श्रेणी तथा समुचित सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में अपने रोजगार के स्थान से अपने मूल स्थान तक आने-जाने के लिए किराए की एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा।

अब तक, पीएमएसवाईएम जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

**

अनुबंध-I

"प्रवासी श्रमिकों का कल्याण" के संबंध में श्री संदोष कुमार पीः द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 07.12.2025 की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	**राज्य**	**दिनांक 07.12.2025 की स्थिति अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	35,013
2.	आंध्र प्रदेश	87,70,743
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,12,709
4.	असम	77,84,083
5.	बिहार	3,21,07,011
6.	चंडीगढ़	1,89, 771
7.	छत्तीसगढ	86,30,273
8.	दिल्ली	36,04,020
9.	गोवा	87,532
10.	गुजरात	1,22,78,339
11.	हरियाणा	54,14,013
12.	हिमाचल प्रदेश	20,11,910
13.	जम्मू और कश्मीर	36,12,778
14.	झारखंड	97,92,933
15.	कर्नाटक	1,09,87,716
16.	केरल	60,94,766
17.	लद्दाख	35,139
18.	लक्षद्वीप	2,859
19.	मध्य प्रदेश	1,91,39,632
20.	महाराष्ट्र	1,82,11,526
21.	मणिपुर	4,69,546
22.	मेघालय	3,58,782
23.	मिजोरम	72,695
24.	नागालैंड	2,42,184
25.	ओडिशा	1,36,66,955
26.	पुदुचेरी	1,97,440
27.	पंजाब	59,08,885
28.	राजस्थान	1,51,29,728
29.	सिक्किम	50,364
30.	तमिलनाडु	94,96,299
31.	तेलंगाना	46,09,697
32.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	75,653
33.	त्रिपुरा	9,00,339
34.	उत्तर प्रदेश	8,41,67,856
35.	उत्तराखंड	31,01,463
36.	पश्चिम बंगाल	2,65,37,393
कुल		**31,39,88,045**

अनुबंध-II

"प्रवासी श्रमिकों का कल्याण" के संबंध में श्री संदोष कुमार पीः द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 07.12.2025 की स्थिति अनुसार पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की महिला-पुरुषवार (लिंग) संख्या।

क्र.सं.	लिंग	कामगारों की संख्या	प्रतिशत (%)
1	पुरुष	144425986	46
2	महिला	169554004	54
3	अन्य	8055	0
